कार्यकारी सार

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में

स्क्रिप्स जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आरंभ किये गये सुविधा उपायों की सफलता पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए और विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) की इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (इडीआई) प्रणाली में योजनाओं के नियमों और प्रक्रियाओं के प्रभावी लिंकेज की जांच करने के लिए मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसईआईएस) पर निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी।

इस लेखापरीक्षा में अप्रैल 2015 से अक्तूबर 2018 की अवधि हेतु डीजीएफटी से प्राप्त संपूर्ण भारत के डेटा के विश्लेषण को कवर किया गया है। यह देखा गया कि 38 प्रादेशिक प्राधिकरण (आरए) और एसईजेड के 9 विकास आयुक्तो (डीसी) द्वारा ₹76,416 करोड़ राशि के 5,94,653 (5,84,650 एमईआईएस और 10,003 एसईआईएस) स्क्रिप्स जारी किये गऐ थे। प्रचलित मैन्यूअल प्रक्रियाओं के मद्देनजर, 25 आरए (कुल आरए का 66 प्रतिशत) और 7 डीसी कार्यालयों (कुल डीसी कार्यालयों का 77 प्रतिशत) का नमूना इस लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया था। इन 32 इकाईयों में ₹72,743 करोड़ (95.19 प्रतिशत) राशि के 5,53,726 (5,43,803 एमईआईएस और 9,923 एसईआईएस) स्क्रिप्स (93.12 प्रतिशत) कवर किये गये।

इसके अतिरिक्त, इन चयनित इकाईयों में, कुल स्क्रिप्स का 1.7 प्रतिशत दर्शाते हुए 6,205 स्क्रिप्स (5747 एमईआईएस स्क्रिप्स और 458 एसईआईएस स्क्रिप्स) का विस्तृत जांच के लिए चयन किया गया। लेखापरीक्षा ने सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों का चयन किया जहां पर इन नमूना स्क्रिप्स से संबंधित निर्यात भी प्रभावित हुये थे। रिपोर्ट में संपूर्ण भारत के डेटा पर किये गये डेटा विश्लेषण के परिणामों के साथ में विस्तृत जांच हेतु चयनित स्क्रिप्स की जांच के आधार पर लेखापरीक्षा परिणाम उचित ढंग से शामिल किये गये थे।

रिपोर्ट की संरचना

यह रिपोर्ट तीन अध्यायों में विभाजित की गई है। अध्याय 1 में इस निष्पादन लेखापरीक्षा को करने के लिए लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, नमूना, लेखापरीक्षा मानदंड और लेखापरीक्षा कार्यपद्धति के साथ दोनों योजनाओं का विहगांवलोकन

प्रस्तुत किया गया है। अध्याय 2 में संपूर्ण भारत के डेटा और स्वचालन की मुख्य विशेषताओं के विश्लेषण के दौरान, स्वचालित मोड्यूल के साथ योजनाओं की नीति और प्रक्रियाओं के एकीकरण में अंतराल से संबंधित लेखापरीक्षा परिणाम, निष्कर्ष और सिफारिशें प्रस्तुत की गई है। तथ्य यह है कि बहुत सी मध्यवर्ती प्रक्रियाएं मैन्यूल रूप से हैंडल की जा रही थी, जिससे आरए और डीसी कार्यालयों द्वारा मैन्यूल नियंत्रणों की जांच करने के लिए चयनित इकाईयों में नमूना जांच करने की आवश्यकता थी। अध्याय 3 में चयनित इकाईयों में याद्रेच्छिक रूप से चयनित नमूनों में मैन्यूल संवीक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा परिणाम, निष्कर्ष और सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं। जैसा कि ऑडिट के कुछ निष्कर्ष परीक्षण जांच पर आधारित हैं, इस बात की पूरी संभावना है कि चूक और भूल की ऐसी त्रुटियां अन्य मामलों में भी मौजूद हो सकती हैं। इसलिए विभाग, शेष सभी लेन-देन की जाँच सूचित लेखापरीक्षा निष्कर्षों की तर्ज पर करें और उचित सुधारात्मक कार्रवाई करें।

इस रिपोर्ट में ₹364.32 करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाले 48 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं। इनमें से ₹233.02 करोड़ के धन मूल्य वाली 44 आपत्तियां विभाग द्वारा स्वीकार की गई हैं तथा 7 आपत्तियों के संबंध में ₹7.82 करोड़ की वसूली अब तक सूचित की जा चुकी है। ₹131.30 करोड़ के 4 पैरा विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं किये गये हैं। इसी प्रकार, इस रिपोर्ट में की गई कुल 14 सिफारिशों में से 8 सिफारिशों को स्वीकार किया गया है।

वाणिज्य विभाग (सितंबर 2019/मार्च 2020) तथा राजस्व विभाग (अक्तूबर 2019/मार्च 2020) से प्राप्त प्रतिक्रियाएं रिपोर्ट में शामिल की गई हैं।

अध्याय-वार सार नीचे दिया गया है:

अध्याय 1: 'मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) और 'सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम' (एसईआईएस) का विहंगावलोकन

1 अप्रैल 2015 से लागू विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 में पूर्ववर्ती पांच योजनाओं[1] को मिलाकर एमईआईएस योजना और सेर्वेड फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसएफआईएस) को प्रतिस्थापित करते हुए सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसईआईएस) आरंभ की गई थी।

[1] (1) फोकस मार्केट स्कीम (एफएमएस), (2) फोकस प्रॉडक्ट स्कीम (एफपीएस), (3) विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई), (4) मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एमएलएफपीएस) और (5) एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्क्रिप्स

एमईआईएस और एसईआईएस के अंतर्गत जारी किये गये स्क्रिप्स के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2016-17 (23.51%,) वि.व. 2017-18 (20.42%) और वि.व. 2018-19 (32.12%) के दौरान स्क्रिप्स की संख्या में सतत् वृद्धि हुई थी, यद्यपि वि.व. 2015-16 में योजनाओं के आरंभ होने के प्रथम वर्ष में स्क्रिप्स की संख्या में कमी आई थी।

(पैरा 1.2)

वि.व. 2015-16 से वि.व. 2017-18 अवधि के दौरान सीमा शुल्क दर के विभिन्न भागों के अंतर्गत सामान के निर्यात के लिए एमईआईएस दावे के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि सीमा शुल्क दर के सभी भागों के अंतर्गत एमईआईएस के दावे में वृद्धि दर्ज की गई। एमईआईएस के अंतर्गत दावा किये गये निर्यात की औसत प्रतिशतता में वि.व. 2015-16 में 11.83 प्रतिशत से वि.व. 2017-18 में 52.93 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वि.व. 2016-17 और वि.व. 2017-18 के दौरान अध्याय 15 (पशु या वनस्पति वसा और तेल) और अध्याय 71 (मोती, महंगे पत्थर/धातु, जैम्स और आभूषण) के अंतर्गत इनकी संबंधित निर्यात मात्रा की तुलना में एमईआईएस दावे नगण्य थे।

(पैरा 1.3.2)

ग्रामीण और लघु स्तर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों की एमईआईएस दरों में वृद्धि की (नवंबर 2017)। अब भी इस क्षेत्र में लागू उच्चतर एमईआईएस दरों के बावजूद , निर्यात किये जा रहे हस्तशिल्प मदों के 70 प्रतिशत का बड़ा भाग एमईआईएस के दायरे से बाहर है। हथकरघा श्रेणी के तहत इसी तरह के विश्लेषण से पता चला है कि एमईआईएस रिवार्ड के लिए हथकरघा निर्यात के तहत निर्यात का मूल्य वि.व. 2015-16 में 15.52 प्रतिशत से बढ़कर वि.व. 2017-18 में 60 प्रतिशत हो गया है, जिसमें लगभग 40 प्रतिशत निर्यात एमईआईएस रिवार्ड से बाहर है।

(पैरा 1.3.3)

लेखापरीक्षा परिणाम का सार

अध्याय 2: एमईआईएस और एसईअआईएस के कार्यान्वयन में प्रणालीगत मुद्दे

एमईआईएस और एसईआईएस स्क्रिप्स जारी करने में काफी अधिक विलंब ने प्रक्रियाओं के सरलीकरण और व्यापार करने की सरलता के उद्देश्य प्राप्त करने में स्वचालित प्रणाली की विफलता को दर्शाया।

(पैरा 2.1 और 2.8)

एमईआईएस के लिए विकसित प्रणाली एक इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली थी जिसे मैन्यूअल हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। यदि प्रणाली को उचित ढंग से प्रोग्राम किया गया है तो सूचान प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली द्वारा आकलित अंकगणितीय सटीकता का मैन्यूअल सत्यापन आवश्यक नहीं होना चाहिए। श्रमबल की क्षति होने के साथ-साथ, स्वचालित प्रणाली में भी त्रुटियां होने के परिणामस्वरूप पूरी प्रक्रिया में विलंब हुआ और अधिकृत अधिकारियों के द्वारा परिहार्य भौतिक इंटरफेस तथा अभ्यास किए जाने वाले चेक में विवेक का उपयोग किये जाने से, जैसा कि अध्याय 3 में चर्चा की गई है, योजना के उद्देश्य समाप्त हो गये।

स्क्रिप्स मूल्य और "लेट कट" आंकलन में एमईआईएस मोड्यूल में कमियां थी जोकि डीजीएफटी द्वारा प्रोगरैमिंग बग के कारण बताई गई थी। प्रणाली के अद्यतन में विलंब के परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय दरों की गलत स्वीकृति हुई। एमईआईएस मॉड्यूल ने INR में प्राप्त अयोग्य निर्यात आय पर लाभ के अनुदान को भी प्रतिबंधित नहीं किया । इसके अलावा, सिस्टम ने एक से अधिक लाइसेंस और क्षेत्राधिकार प्रावधानों में शिपिंग बिल (एसबी) के उपयोग के संबंध में योजना में निर्धारित शर्तों और जांचों को लागू नहीं किया।

(पैरा 2.2 से 2.5 और 2.7)

ई-कॉमर्स निर्यात से ₹5.52 करोड़ राशि का एमईआईएस लाभ लगभग चार वर्षों तक विलंबित रहा था क्यूंकि ई-कॉमर्स मोड्यूल की संचालनात्मकता और अधिनियमों में सुधार में विलंब हुआ।

(पैरा 2.6)

स्वचालित प्रणाली में जोखिम को कम करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम (आरएमएस) को डिजाईन किया गया था ताकि रिवार्ड के बाद नमूना फाईल की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जा सके कि केवल योग्य निर्यातक रिवार्ड का दावा करते हैं। हालांकि, आरएमएस में अग्रलिखित कमियां पाई गई थीं:

- अप्रैल 2015 से दिसंबर 2017 की अवधि हेतु एमईआईएस और एसईआईएस के लिए आरएमएस का गैर-कार्यान्वयन नीति प्रावधानों का उल्लंघन था और दो वर्षों से अधिक के लिए मुख्य जोखिम नियंत्रण उपाय को बिना शामिल किये छोड़ दिया। **(पैरा 2.9)**
- अस्वीकृत कारकों जैसे कमीशन, बीमा और माल भाड़ा (सीआईएफ) प्रभारों को न छोड़ते हुए वसूली गई सारी निर्यात प्राप्तियों पर प्रणाली ने रिवार्ड अनुमत किया। **(पैरा 2.10.1)**
- प्रणाली उत्पादों के गलत वर्गीकरण के कारण रिवार्ड की अधिक अनुमति रोकने में विफल रही और हैंडलूम उत्पादों के लिए लागू उच्चतर दरें अनुमत की। **(पैरा 2.10.2)**
- एमईआईएस मॉड्यूल में मान्यता नियंत्रण ने न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) शासन के तहत निर्यात के लिए प्रोत्साहन के अनुदान को प्रतिबंधित नहीं किया और निर्यातकों ने अपने एसबी में भारतीय व्यापार स्पष्टीकरण / हार्मोनाइज्ड सिस्टम (आईटीसी-एचएस) को गलत तरीके से उद्धृत करके लाभ का दावा किया। ऐसे अयोग्य/प्रतिबंधित मदों को भेजने के लिए डिजाईन किए आरएमएस का गैर-कार्यान्वयन होने के कारण अधिक क्रेडिट के दावों की जाचं नहीं की जा सकी। **(पैरा 2.10.3)**

अध्याय 3: मैन्यूल प्रोसैसिंग के मद्देनजर सैंपलिंग पर आधारित नमूना जांच के परिणाम

अपूर्ण प्रणाली चालित नियंत्रण के कारण एमईआईएस स्क्रिप्स के जारी करने में काफी विलंब से मैन्यूल इंटरवेशन की आवश्यकता हुई। एमईआईएस स्क्रिप्स के जारी करने के लिए अपेक्षित नियंत्रणों की सीमा के बारे में क्षेत्र स्तर आरए को कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिये गये थे। आरए ने विभिन्न मामलों की जांच की। प्रणाली चालित अनुमोदन तंत्र के बावजूद, आरए "लेट कट" की सटीकता जैसे

मामलों की जांच कर रहे थे। आईटी प्रणाली द्वारा अंकगणितीय रूप से सटीक गणना का मैन्यूल सत्यापन आवश्यक था क्योंकि प्रणाली को उचित ढंग से प्रोग्राम नहीं किया गया था जैसा कि अध्याय 2 में बताया गया है। ऐसी त्रुटिपूर्ण इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली के मद्देनजर, यह समझना कठिन नहीं था कि आरए वो जाँच कर रहा था, जोकि प्रणाली चालित होने चाहिये थे।

(पैरा 3.1)

नमूना जांच से एमईआईएस में प्रणालीगत नियंत्रण की विफलता का भी पता चला, जिसके कारण रिवार्ड के गलत अनुदान का दावा किया गया, भले ही दावा करने के इरादे की घोषणा एसबी में नहीं दी गई / अनुपलब्ध थी, हथकरघा उत्पादों पर लागू उच्च दर का अनुदान और स्क्रिप्स का गलत उपयोग।

(पैरा 3.2.1 से 3.2.5)

निर्यातकों को ऐसे मामलों में पुरस्कार मिला, जहां सेवाओं को गलत वर्गीकृत किया गया था, हालांकि प्रदान की गई वास्तविक सेवाओं को परिशिष्ट 3 डी में निर्दिष्ट नहीं किया गया था और चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) प्रमाण-पत्रों पर निर्भरता रखते हुए 37 मामलों में 7 आरए द्वारा इन सेवाओं के संबंध में ₹172.72 करोड़ राशि के लाभ अनुमत किये थे।

(पैरा 3.3)

स्वयं-उद्घोषणा और सीए प्रमाणपत्र एसईआईएस के अंतर्गत रिवार्ड की अनुमति के लिए सेवाओं और प्रेषण की योग्यता के बारे में विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अपर्याप्त थे। हालांकि, विभाग रिवार्ड अनुमत करने के लिए इन स्वयं-उद्घोषणाओं और सीए प्रमाण-पत्रों पर अत्यधिक निर्भर रहा। आरए योग्य (मोड 1 और 2) तथा अयोग्य (मोड 3 और 4) सेवाओं के बीच अंतर करने तथा रिवार्ड विभाजित करने तथा अयोग्य सेवाओं के रिवार्ड मना करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान प्रावधानों के उल्लंघन में 13 सेवा प्रदाताओं को ₹57.52 करोड़ का अधिक रिवार्ड दिया गया। गलत स्वयं उद्घोषणा तथा सीए प्रमाण-पत्रों के कारण 62 मामलों में ₹40.47 करोड़ राशि के दावों में त्रुटियां देखी गई थीं। आरए और सिस्टम द्वारा अपूर्ण नियंत्रण के कारण 34 मामलों में ₹13.02 करोड़ राशि के अधिक रिवार्ड जारी किये गये।

पोर्ट सेवाओं के लिए एसईआईएस प्रावधानों में स्पष्टता की कमी थी जैसे वास्तविक सेवा प्रदाता लाभ कैसे प्राप्त करेगें जबकि वे प्रत्यक्ष रूप से विदेशी उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान नहीं कर रहे थे।

(पैरा 3.4 से 3.6)

एसईआईएस स्क्रिप्स के प्रति आयातित माल के लिए आयात ड्यूटी की छूट अनुमत करने के लिए सीमा शुल्क अधिसूचना (2015 की 16, दिनांक 1 अप्रैल 2015) में विनिर्दिष्ट पोर्ट द्वारा निर्यात प्रभावित करने वाली शर्त एसईआईएस प्रावधानों के अनुसार नहीं है।

(पैरा 3.7)

निर्यातकों ने समान निर्यात के लिए सॉफ्टैक्स रिटर्न और एसईआईएस दावों में सेवाओं की अलग-अलग प्रकृति की घोषणा की थी। स्क्रिप्स के जारी करने से पहले डीसी कार्यालयों द्वारा इनकी जांच की जा सकती थी, परंतु ऐसा नहीं किया गया।

(पैरा 3.8)

एसईआईएस संस्वीकृति से पूर्व संवीक्षा के रूप में की जाने वाली जांच के संबंध में आरए को डीजीएफटी द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किये थे और आरए या डीसी कार्यालयों में एसईआईएस दावों के प्रसंस्करण के लिए अपनाये जाने वाली प्रक्रिया में कोई समानता नहीं थी।

(पैरा 3.9)

लेखापरीक्षा डीजीएफटी द्वारा आरए के प्रदर्शन पर प्रणालीबद्ध निगरानी के प्रमाण प्राप्त नहीं कर सकी। डीजीएफटी ने कहा कि एमईआईएस/एसईआईएस आवेदनों के प्रसंस्करण में विलंब की निगरानी जैस्पर रिपोर्टिंग मोड्यूल द्वारा की गई थी। हालाँकि, योजना कार्यान्वयन और आरए के समग्र प्रदर्शन की कोई निगरानी नहीं थी। योजना के आवधिक मूल्यांकन से यह सुनिश्चित करने में सहायता मिल सकती थी कि योजना के उद्देश्य प्राप्त कर लिये गये थे और किन्हीं खामियों के मामले में मध्य-अवधि सुधार भी किये गये थे। वाणिज्य विभाग द्वारा की गई एफटीपी की मध्यावधि समीक्षा सेवा क्षेत्र निर्यात पर एसईआईएस के प्रभाव पर

मौन थी। लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में योजनाओं के प्रदर्शन का आकलन डीजीएफटी द्वारा नहीं किया गया था।

(पैरा 3.10 और 3.11)

यह प्रमाणित करने का कोई रिकार्ड नहीं मिला कि एमईआईएस /एसईआईएस के ऑनलाईन मोड्यूल में मौजूद शिकायत निवारण तंत्र था और कि एमईआईएस/एसईआईएस शिकायतों का कोई विलंबन विश्लेषण अभी तक डीजीएफटी द्वारा किया गया था।

(पैरा 3.12)

सिफारिशें

1. *सरकार के ई-प्रशासन पर शिफ्ट होने के प्रयत्न और स्वचालन में डीजीएफटी द्वारा प्राप्त विशाल अनुभव के मद्देनजर, यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विदेश व्यापार प्रोत्साहन योजनाओं के प्रशासन की पूरी प्रणाली को फुल प्रूफ सिस्टम रोल आउट करके स्वचालित रूप से योजना प्रावधानों के लिए मैप किया गया है और आईसीएस, एसईजेड ऑनलाइन इत्यादि जैसे लिंक / बेस सिस्टम में पहले से उपलब्ध जानकारी का भी लाभ उठाया गया है, ताकि यह सत्य का एकल स्रोत बन जाए।*
2. *डीजीएफटी को एमईआईएस/एसईआईएस स्क्रिप्स की अनुमति की प्रक्रिया की समीक्षा और स्क्रिप्स को इलैक्ट्रॉनिक और मैन्यूल वातावरण दोनों में अनुमत करने के लिए उपयुक्त जांच सूची तैयार की जानी चाहिए।*
3. *रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम (आरएमएस) को स्क्रिप्स जारी करने पर स्वचालित प्रणाली में कमी और खामियों को दूर करके सुदृढ़ किया जाना चाहिए। निर्यातकों द्वारा आयोग, बीमा और माल ढुलाई (सीआईएफ) की घोषणा करने और डीजीएफटी के लिए निर्यातक / आवेदक की स्व-घोषणा की शुद्धता की जांच करने के लिए उचित नीति ढांचे और सिस्टम अलर्ट को लागू करने की आवश्यकता है ताकि सिस्टम द्वारा चुने गए चुनिंदा मामलों में निर्यातक / आवेदक की स्व-घोषणा की जांच हो सके।*

4. *अध्याय 3 में रिपोर्ट किये गये प्रोत्साहनों के अधिक अनुदान पर लेखापरीक्षा परिणाम वर्तमान मैन्यूल सत्यापन के मद्देनजर यादरेच्छिक सैंपलिंग का उपयोग करते हुए नमूनाकृत मामलों पर की गई नमूना जांच पर आधारित थे। इस बात की पूरी संभावना है कि भूल और चूक की ऐसी त्रुटियां कई और मामलों में मौजूद हो सकती हैं। विभाग बचे हुए सभी संव्यवहारों को अध्याय 3 में रिपोर्ट किये गये लेखापरीक्षा परिणामों की तर्ज पर जाँच कर सकता है।*
5. *हैंडलूम श्रेणी के अंतर्गत पॉवरलूम उत्पादों के गलत-वर्गीकरण की आशंका से बचने के लिए, पावरलूम और हैंडलूम प्रक्रिया के बीच अंतर स्पष्टत: निर्दिष्ट किया जा सकता है।*
6. *अस्पष्टता से बचने के लिए और पात्र सेवाओं पर अधिक स्पष्टता लाने के लिए, बजाय केवल पात्र सेवा की सूची के सीरियल नंबर को बताते हुए, डीजीएफटी, केंद्रीय उत्पाद वर्गीकरण (सीपीसी) कोड और वह मोड जिसके अंतर्गत यह आते हैं; के साथ सेवा के सटीक वर्गीकरण पर सीए प्रमाण पत्र के लिए अधिक दबाव बना सकते हैं। योजना लाभ के लिए उपलब्ध कोड और मोड के बारे में और आवेदक की घोषणाओं और सीए प्रमाणपत्रों में पाई गई कमियों पर दंड प्रावधानों के संबंध में उपयुक्त स्पष्टता प्रणाली में लाई जा सकती है। सीए का उत्तरदायित्व भी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और उनके द्वारा विफल होने पर उपयुक्त प्राधिकरण को सूचित किया जाना चाहिए।*
7. *डीजीएफटी एसईआईएस स्क्रिप्स जारी करने से पहले अपेक्षित आधारभूत नियंत्रण के बारे में आरए को स्पष्ट निर्देश जारी कर सकता है। आवेदक की उद्घोषणाओं और सीए प्रमाण-पत्रों में पाई गई कमियों पर पैनल प्रावधान लागू करना अति आवश्यक किया जा सकता है।*
8. *डीजीएफटी को चार प्रकार की सेवाओं के विभाजन पर नीति तथा प्रकियाओं में स्पष्टता लानी चाहिए। सेवाओं के वर्गीकरण पर आवेदकों के घोषणापत्र और सीए प्रमाण-पत्रों की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि सेवाओं के भेद का पता लगाया जा सके ।*
9. *डीजीएफटी पोर्ट सेवाओं के संबंध में तंत्र विकसित कर सकता है ताकि वास्तविक सेवा प्रदाताओं को पुरस्कार देने का इरादा सेवाओं के एग्रीगेटर के दावों के खिलाफ सुरक्षित रहे और सीमा शुल्क अधिसूचना में छूट की शर्तों को एसईआईएस स्कीम के प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सके।*

10. *प्रोत्साहन, जो कि सीपीसी कोड पर आधारित है; के किसी दुरूपयोग से बचने के लिए, विभिन्न एजेंसियों (डीजीएफटी, आरबीआई, सीमा शुल्क आदि) द्वारा सेवाओं का वर्गीकरण यूएनएसडी के केंद्रीय उत्पाद वर्गीकरण (सीपीसी) कोड के अनुसार किये जाने की आवश्यकता है ।*
11. *एक तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए आरंभ किया जाना चाहिए कि समान निर्यात हेतु विभिन्न प्राधिकरण (डीजीएफटी, आरबीआई, सीमा शुल्क आदि) को सेवा प्रदाताओं द्वारा रिपोर्ट करते हुए सेवा के वर्गीकरण की वैधता क्षेत्राधिकार विकास आयुक्त सत्यापित करता है।*
12. *आरए को उन मामलों में जहां सेवाओं को मोड-1 श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत/उद्घोषित किया गया था, सॉफ्टैक्स फॉर्म हेतु दबाव बनाना चाहिए जो डेटा लिंक के माध्यम से सेवाओं की आपूर्ति के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन (माल और सेवाओं के निर्यात) विनियम 2000 के तहत एक अनिवार्य घोषणा थी ।*
13. *व्यापार आसान करने के लिए, हमने सिफारिश की कि डीजीएफटी शिकायत निवारण के लिए एक अंतर्निहित प्रणाली पर विचार कर सकती है। योजना को सुधारने के लिए उक्त के विश्लेषण को फीडबैक तंत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह के मापदंडों पर योजनाओं की निगरानी जैसे की दावों को कार्यान्वित करने में लगने वाला समय, आरएमएस जांच आदि योजना को लागू करने में आरए के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जा सकता है।*
14. *हम अनुशंसा करते हैं कि डीजीएफटी योजना के मुख्य उद्देश्यों के लिए शुरू की गई ऐसी किसी भी योजना की उपलब्धियों का एक मध्यावधि मूल्यांकन अध्ययन शुरू करने पर विचार कर सकता है।*

डीजीएफटी ने चार (2, 9, 11 और 14) को छोड़कर सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और दो (1और 4) सिफारिशों के संबंध में प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

एसईआईएस स्क्रिप्स और चेकलिस्ट जारी करने के लिए प्रक्रिया की समीक्षा करने पर **(सिफारिश 2)**, यह कहा गया था कि नीति और प्रक्रियात्मक प्रावधान पहले से ही मौजूद थे और पहले से मौजूद प्रावधानों के लिए चेकलिस्ट जारी करना हालांकि उपयोगी था, लेकिन लाइसेंसिंग अधिकारियों को एक अवांछनीय मार्ग भी देगा जो दावे की शुद्धता के लिए चेकलिस्ट की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। ऑडिट दोहराता है

कि एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) या आरए के लिए एक विस्तृत चेकलिस्ट, यह सुनिश्चित करेगी कि सभी बुनियादी चेक आरए द्वारा समान रूप से पालन किए जा रहे हैं, इसके अलावा दावों की समग्र पेंडेंसी को भी व्यवस्थित करेगी ।

"पोर्ट सेवाओं" **(सिफारिश 9)** पर डीजीएफटी ने कहा कि पोर्ट पर सेवा प्राप्त की गई थी परंतु क्योंकि यह विदेशी लाईनर के लिए थी, यह श्रेणी मोड 2 में आएगी और ऐसी सेवाओं हेतु रूपये भुगतान रिवार्ड के लिए योग्य थे। जवाब में सिफारिश में ऑडिट द्वारा उठाए गए मुद्दे को संबोधित नहीं किया गया था, जो सेवा प्रदाताओं और एग्रीगेटर्स के कारण रिवॉर्ड के बीच अंतर करने के लिए तंत्र के बारे में था।

विभिन्न प्राधिकरणों को सेवा प्रदाताओं द्वारा रिपोर्ट की गई सेवा के वर्गीकरण का सत्यापन करते हुए क्षेत्राधिकार विकास आयुक्त पर **(सिफारिश 11)** डीजीएफटी ने कहा कि बहुल संगठन जोकि सेवा की समान प्रकार हेतु अलग-अलग रिपोर्टिंग प्रारूप का उपयोग करते हैं, से सेवाओं की रिपोर्टिंग का सत्यापन योजना को गैर-कार्यान्वयन योग्य बना देगा। लेखापरीक्षा की रिपोर्टिंग प्रारूप के संदर्भ में नहीं थी परन्तु विभिन्न एजेसियों को रिपोर्ट किये गये वर्गीकरण में समानता सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र से संबंधित थी। विभिन्न एजेंसियों को समान सेवाओं की रिपोर्टिंग हेतु प्रयुक्त वर्गीकरण में समानता सुनिश्चित करने के लिए आसान तंत्र विभाग द्वारा तैयार किया जाना चाहिए।

ऐसी योजनाओं के मध्यावधि मूल्यांकन अध्ययन आरंभ करने पर **(सिफारिश 14)** यह कहा गया था कि एफटीपी 2015-20 का 31 मार्च 2020 से बंद होना अपेक्षित था, इसका मध्यावधि मूल्यांकन शायद संभव नहीं हो सकता। लेखापरीक्षा की सिफारिश सामान्य थी क्योंकि योजनाओं का आवधिक मूल्यांकन यह सुनिश्चित करेगा कि किसी खामी के मामले में मध्यावधि सुधारों के अतिरिक्त अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त किये गये थे।